

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद ।

दण्डवाद सं०-2295 / 2019

राज्य                      बनाम.                      रहीश ।

आरोप

मैं प्रीति मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद आप अभियुक्त रहीश पर निम्नलिखित आरोप से विरचित करती हूँ :-

1-यह कि आपने दिनांक 03.08.19 को समय 06.06 बजे स्थान ग्राम-मोवतिया थाना-डिलारी, जिला-मुरादाबाद में आपके द्वारा गौवंशील पशु काटने का कृत्य किया गया। इस प्रकार आपके ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3/5/8 सी.एस.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है, और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद्वारा निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप पर आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा । ..

दिनांक: 06.11.19

(प्रीति मोगा)

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजि०

ठाकुरद्वारा ।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाये व समझाये गये जिससे उन्होने इंकार किया एवं विचारण चाहा ।

दिनांक: 06.11.19

(प्रीति मोगा)

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजि०

ठाकुरद्वारा